## नियमावली

1. संस्था का नाम : लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन होगा।

2. संस्था का कार्यालय : 161, रामजी वाटिका ग्राम मिर्जापुर, बायपास इंदौर तहसील इंदौर जिला इंदौर

(म.प्र.) में स्थित होगा।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत होगा।

4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे।

1. समाज विकास कार्य करना तथा देश की प्रगति में सहयोग करना।

2. उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जरूरतमंद व प्रतिभावान युवाओं को कोचिंग तथा होस्टल सुविधाएँ देना।

- उन्जों मेजन की उच्च शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में प्रगति हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उच्च स्तिरीय कोचिंग संस्थानों की स्थापना कर, संचालन करना तथा केरियर मार्गदर्शन, केरियर काउंसिलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, भ्रमण, सेमिनार आदि का आयोजन करना या करवाना।
- 4. समाज का असहाय, बराजनार, जान के क्षेत्र में उचित मार्गदर्शन करना। 4. समाज के असहाय, बेरोजगार, अनाथ, निराश्रित एवं जरूरतमंद युवाओं, महिलाओं व पुरुषों को
  - 5. आमजन को तंकनिकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने हेतु आवासीय एवं गैर आवासीय स्कूल, महाविद्यालय, संचार सूचना प्रोद्योगिक शिक्षण, कम्प्युटर शिक्षण हेतु शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर संचालन करना।
  - 6. आम जन को व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने हेतु आवासीय एवं गैर आवासीय डी. एल डी, बी. एड., एम. एड., इंजीनियरिंग, मेडिकल, ए.एन.एम., जी.एन.एम., बी.एस.सी. नर्सिंग, सह चिकित्सा, डी. फार्मा, फार्मास्युटिकल, सहायक प्रशिक्षण सेंटर, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, सिलाई सेंटर, कला एवं संगीत विद्यालय एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार एवं उसके लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर उनका संचालन करना।
  - 7. समाज के अभावग्रस्त, गरीब युवाओं की सहायता करना, छात्रवृत्ति देना या दिलाने की व्यवस्था करना।
  - 8. सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास से संबंधित गतिविधियों का संचालन करना एवं प्रस्कार वितरण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

अध्यक्ष

इन्दौर

- 9. संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभा, बैठक, अधिवेशन, गोष्ठियां, शिविर, वाद-विवाद, औद्योगिक भ्रमण, चिकित्सा व स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, रक्त-दान शिविर, खेलकूद, व्यायाम, योग आदि विभिन्न प्रकार के आयोजन करना तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना।
- 10. शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, पत्रकारिता, विधि, वाणिज्य, तकनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा समयानुसार उभरते हुए क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित करना।
- 11. प्रशासनिक सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस की तैयारी करने वाले युवाओं तथा विदेशों में उच्चस्तरीय शिक्षा हेतु जाने वाले जरूरत मंद प्रतिभाओं को यथासंभव सहयोग करना।
- 12. समाज में बाल शक्ति, महिला शक्ति एवं युवा शक्ति के समुचित विकास, उत्थान एवं सशक्तिकरण हेत् नियमित प्रयास करना।
- 13. समिजिक, सांस्कृतिक, उत्सव, त्यौहार, रीति-रिवाज से संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु प्रोत्साहन एवं सहयोग देना।
- 14. व्यावसायिक एवं चिकित्सा कार्य हेतु आने वाले व्यक्तियों को आवास व अन्य सुविधा उपलब्ध करवाना।
- 15. विकलांग, नेत्रहीन, कुष्ठ रोगियों, कोरोना, टी. बी. मलेरिया, भूण हत्या, एड्स, अन्य, गंभीर बीमारियों के निदान हेतु स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन करना या कराना।
  - 16. समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य करना।
  - 17. स्वसहायता समूह बनाकर आमजन को आत्मनिर्भर बनाने हेत् प्रेरित करना एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना व करवाना।
  - 18. निःशक्तजनों, वृध्द, परित्यगता महिला, बच्चों, आदि के लिए आश्रम का संचालन करना या संचालन में सहयोग करना।
  - 19. किसी भी जाति, पंथ, लिंग, एवं समुदाय के जरूरतमंद एवं गरीब व्यक्तियों के सहयोग हेत् योजनाएं चलाना या सहयोग प्रदान करवाना।
  - 20. पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु कार्य करना।
  - 21. प्राकृतिक आपदाओं के समय मानवीय सहायता प्रदान करना या करवाना।
  - 22. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से आमजन को जागरूक करना।
  - 23. नशा मुक्ति हेत् जनजागरण अभियान चलाना।
  - 24. कृषि, उद्योग, वाणिज्य की प्रोन्नति हेतु कार्य करना तथा किसानों को नई तकनीकियों से किसानों को अवगत करवाना।

अध्यक्ष

इन्दौर

व्यक्तिकार त्यांवश्म

कोषाध्यक्ष

लोधा समाज शिक्षा फाउण्डेशन इन्दौर

- 5. सदस्यता: संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे-
  - (अ) संरक्षक सदस्य- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 100000/-या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।
  - (ब) आजीवन सदस्य-जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 21000/-या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा।
  - (स) साधारण सदस्य जो व्यक्ति रूपये 100/-प्रतिमाह या रूपये 1200/-प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अविध के लिये सदस्य होगा, जिसके लिए उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों से छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।
  - (द) सम्मानीय सदस्य- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।
  - 6. संदर्स्यता की प्राप्ति- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में अविदेन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसको आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।
  - 7. सदस्यों की योग्यता- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्लिखित योग्यता होना आवश्यक है-
    - 1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
    - 2. भारतीय नागरिक हो।
    - 3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
    - 4. सदचरित्र हो तथा मद्यपान नहीं करता हो।
  - 8. सदस्यता की समाप्ति- संस्था का सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी-
  - 1. मृत्यु हो जाने पर 2. पागल हो जाने पर 3. संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 के बताये अनुसार जमा न करने पर 4. चारित्रिक दोष होने पर एवं कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित हो जाने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी। 5. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।

अध्यक्ष

लोधा समाज शिक्षा फाउण्डेशन इन्दोर सचिव

राजियां स्वाविशा

लोधा समाज शिक्षा फाउण्डेशन

कोषाध्यक्ष

लोधा समाज शिक्षा फाउण्डेशन इन्दोर

## 9. संस्था के कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे।

- 1. प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा व्यवसाय व दिनांक सहित हस्ताक्षार।
- 2. वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.
- 3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
- 10. (अ) साधारण सभा- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रत्येक प्रथम आमसभा पंजीयक दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।
- (ब) प्रबंध कारिणी सभा- प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी। तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कीरमा 1/2 सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक 1 घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी। जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।
- (स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण संभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित होने जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजी जावेगी। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

## 11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य-

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- (ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

अध्यक्ष

अध्यक्ष लोधा समाज शिक्षा फाउण्डेशन इन्दोर सचिव

रामिकेशार लेखिशी

लोधा समाज शिक्षा फाउण्डेशन

कोषाध्यक्ष

लोधा समाज शिक्षा फाउण्डेशन इन्दोर

- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्ध कारिणी द्वारा प्रस्तुत हों।
- (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
- (छ) बजट का अनुमोदन करना।
- 12. प्रबन्ध कारिणी का गठन- ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये अनुसार सदस्यों जिनके नाम पंजीय रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
- 2. उपाध्यक्ष-2, 3. सचिव-1, 4. कोषाध्यक्ष-1, 5. संयुक्त सचिव-1, अध्यक्ष-1, एवं सदस्य-7
- 13. प्रबन्ध समिति का कार्यकाल- प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, समिति का यथेष्ठा कारण होने प्राप्त उस समय तक जब कि नई प्रबन्धकारिणी समिति का निर्माण निम्नानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रबन्ध समिति के अधिकार व कर्तव्य-

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उनकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेत् व्यवस्था करना।
- (ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्त्त करना।
- (स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल अचल सम्पति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
- (द) कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
- (ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सींपे जाए।
- (च) संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा

अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी।

अध्यक्ष

इन्दोर

लोधा समाज शिक्षा फाउण्डेशन इन्दौर

लोधा समाज शिक्षा फाउण्डेशन 3.614

- (ज) विशेष बैठक आमत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।
- 15. अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।
- 16. उपाध्यक्ष के अधिकार-अध्यक्ष की अनुपस्थित में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
- 17. सचिव (मंत्री) के अधिकार-
- 1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना। 2. समिति क
  - समिति को आय व्यय का लेखा परिक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के समुख प्रस्तुत
  - 3. समिति के सारे के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरिक्षण करना व अनियमितता पायें जाने पर उसकी सूचना प्रबन्धकारिणी को देना।
  - 4. सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 10,000/- व्यय करने का अधिकार होगा।
  - 18. संयुक्त सचिव के अधिकार-

सचिव की अनुपस्थित में उसके के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

- 19. कोषाध्यक्ष के अधिकार- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति व्यय करना।
- 20. बैंक खाता- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम 10,000/- रूपये रहेंगे।

अध्यक्ष

इन्दोर

सचिव

लोधा समाज शिक्षा फाउण्डेशन

- 21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी- अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी सिमित की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था को परीक्षित लेखा भेजेगी।
- 22. संशोधन- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होंगा।
- 23. विघटन- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल अचल संपत्ति किसी सामान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
- 24. सम्पति- संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

-25 ig निर्माखाया की समस्त निर्मिष्ठाविद्योगिश के या पोस्ट ऑक्ट्रीमधार्थे खोबा त्वावेगा एवं सञ्चाल क्षिप्रकार के स्थापन के समस्त निर्मेष्ठा के सम

- 26. पंजीयक द्वारा बैठक बुताना- संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।
- 27. विवाद- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमित से सुलझाने का अधिकार होगा यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रिजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के तिये भेज सकेंगे। रिजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचातित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर निर्णय देने का अधिकार रिजिस्ट्रार को होगा।

( बी. एस. सालवरी)

अस्मि. रजिस्ट्राच् फार्स एवं संस्थाएँ, इन्होर सक्ताग,

अध्यक्ष

अध्यक्ष लोधा समाज शिक्षा फाउण्डेशन इन्दोर सचिव

व्यासिक सामिकार को व्यक्ती

लोधा समाज शिक्षा फाउण्डेशन

कोषाध्यक्ष

लोधा समाज शिक्षा फाउँ